चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 02.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 02.03.024 को पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र श्री अजय कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत केन्द्रीय फोर्स के ठहरने के लिए स्कूलों का निरीक्षण किया। महोदय द्वारा कोतवाली कर्वी अन्तर्गत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर शिवरामपुर ,श्री परम विद्यामंदिर इंटर कॉलेज शिवरामपुर एवं ज्ञानभरती इंटर कॉलेज कर्वी जे0एम0 बालिका इंटर कॉलेज कर्वी पहुँच केन्द्रीय फोर्स की मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया व सुधार हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

(3) आज दिनाँक-02.03.2024 को उपजिलाधिकारी राजापुर श्री प्रमोद झाँ,क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय कीअध्यक्षता में तहसील सभागार में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। महोदय द्वारा आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देश दिये गये। भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके जाकर जांचकर निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(4) आज दिनाँक-02.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में तहसील सभागार में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। महोदय द्वारा आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देश दिये गये। भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके जाकर जांचकर निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

इस दौरान उपजिलाधिकारी मानिकपुर श्री पंकज वर्मा, तहसीलदार मानिकपुर श्री वाचस्पति सिंह राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5) आज दिनाँक-02.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा थाना मानिकपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ-सफाई व थाना कार्यालय में रजिस्टरों के उचित रख-रखाव व अद्यवधिक करने हेतु प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(6) आज दिनांक 02.04.2024 को आगामी लोकसभा चुनाव एवं होली के त्योहार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में कोतवाली कर्वी पुलिस की टीम द्वारा थाना कोतवाली अन्तर्गत ग्राम कपसेठी में मंदाकिनी नदी के किनारे क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दबिश दी गयी। दबिश के दौरान कुल 30 ली0 महुआ से बनी कच्ची शराब बरामद की गयी व लगभग 4500 कि0ग्रा0 लहन मौके पर नष्ट किया गया, मौके पर कच्ची शराब बनाने वाली 6 भट्ठियों व शराब बनाने के उपकरणों को नष्ट किया गया।

<u>दबिश देने टीम का नाम-</u>

1. क्षेत्राधिकार नगर श्री हर्ष पांडेय ,
2. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री उपेंद्र प्रताप सिंह
3. उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर
4. ,उ0नि0 प्रवीण सिंह चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग
5. उ0नि0 श्री गौरव तिवारी
6. उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय
7. आरक्षी अनुज यादव
8. आरक्षी शिवपूजन यादव
9. महिला आरक्षी रोशनी

(7) आज दिनाँक 02.03.024 को उपजिलाधिकारी राजापुर श्री प्रमोद झाँ एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत थाना राजापुर अंतर्गत फोर्स के ठहरने हेतु तुलसी इंटर कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया व सुधार हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
तत्पश्चात तुलसी इण्टर कॉलेज में चल रही बोर्ड परीक्षा को सकुशल नकलविहीन परीक्षा कराये जाने हेतु परीक्षा कक्षों का निरीक्षण किया।

(8) आज दिनाँक 02.03.024 को आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत उपजिलाधिकारी राजापुर श्री प्रमोद कुमार झा एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय द्वारा कस्बा राजापुर स्थित पटाखा(आतिशबाजी) की दुकानों की चेकिंग की गयी। महोदय द्वारा सभी पटाखा करोबारियों/दुकानदारों को मानक के अनुसार पटाखा सामग्री रखने हेतु निर्देशित किया गया।

(9) श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी रामकिशोर द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी चित्रकूट सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पंजीकृत मु0अ0सं0 541/2019 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त दुर्गेश शुक्ला पुत्र छेदीलाल शुक्ला निवासी 286 लेदर पचासा बिहारिया आम गोदार शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज को 2000 रूपए के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।

(10) श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह एवं पैरोकार आरक्षी मनीष यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन श्रीमती शेफाली यादव द्वारा थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 10/2022 धारा 171(f) भादवि0 के आरोपी अभियुक्त मनोज कुमार मिश्रा पुत्र रविशंकर मिश्रा निवासी ऐंचवारा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।